प0 सं0–14 / डी0एल0ए0 गोपालगंज (सम्पर्क पथ)–56 / 12–3015....... / रा0, पटना–15, दिनांक–21 / 12 / 2012

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू–अर्जन निदेशालय
पटना,बिहार
अधिसूचना

पत्रांक............. दिनांक....................

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–हरदीया थाना–बैकुण्ठपुर थाना नं0–292 परागना–मङहल जिला–गोपालगंज में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर यानि बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अर्जन अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचना किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए ग्राम–हरदीया में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.08 एकड़ के बराबर होता है,जिसका खेसरा नं0– निम्न प्रकार है।

अर्जनधीन भूमि का खेसरा नं0– 487 अंश, 490 अंश,।

अर्जनाधीन भूमि की चौहदी

उत्तर – 350 आम सड़क
पूरब – 435 अंश, 436 अंश, 488 अंश, 489 अंश,।
दक्षिण – 485 अंश, 484 अंश,।
पश्चिम– 494 अंश, 486 अंश, 490 अंश।

इस अधिसूचना को भू–अर्जन अधिनियम सन् 1894 यथा संशोधित सन् 1984 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जिनका इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज एवं उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत् समय लगे बिहार सरका के पदाधिकारी एवं कर्मचारीयों को प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण कर तथा उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (2) यथा उपबंधित तथा विर्निदिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करेगें।

चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि का अर्जन तुरन्त आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा–4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (A) के उपबंध उक्त जमींन पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

समाहर्त्ता सरकार के उप सचिव
गोपालगंज। बिहार पटना।

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञा0 सं0–14 / डी0एल0ए0 गोपालगंज (सम्पर्क पथ)–56 / 12–3012 / रा0, पटना–15, दिनांक–21 / 12 / 2012

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रारूप की तीन प्रतिया को दो दैनिक समाचार पत्रों से जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशित करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट समाहरणालय शाखा, गोपालगंज को जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित जिला गजट की अतिरिक्त 10–10 प्रतियों इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को शीध्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा एवं समाहर्त्ता, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।